



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012021-224406
CG-DL-E-14012021-224406

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2021/पौष 24, 1942
No. 14] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2021/PAUSHA 24, 1942

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2021

फा. सं. 18-04/2020-एलआई (भाग 2) .—भारत के राजपत्र असाधारण संख्या 2045 दिनांक 17 अगस्त, 2016 में प्रकाशित डाक विभाग की अधिसूचना संख्या 46-2/2008-एलआई (खंड II) दिनांक 12 अगस्त, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति डाक घर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ) और ग्रामीण डाक घर जीवन बीमा निधि (आरपीओएलआईएफ) की लेखांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

1. डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) के प्रोत्साहन के कारण सभी भुगतान निम्नानुसार मुख्य शीर्ष 8016, उप मुख्य शीर्ष 06, लघु शीर्ष 101 और उप शीर्ष 01 और 02 में डेबिट किए जाएंगे :

1.1 पीएलआई के लिए :

मुख्य शीर्ष	8016		
उप मुख्य शीर्ष	06	प्रबंध लागत	
लघु शीर्ष	101	संवर्धन एवं विपणन	

उप शीर्ष	01	पीएलआई निधियों के विपणन का संवर्धन	
विस्तृत शीर्ष	01	विकास अधिकारियों को प्रोत्साहन का भुगतान	सभी भुगतान डेबिट करें
	02	फील्ड अधिकारियों को कमीशन का भुगतान	सभी भुगतान डेबिट करें
	03	एजेंटों (डायरेक्ट एजेंट, जीडीएस, विभागीय कर्मचारी आदि) को प्रोत्साहन / कमीशन का भुगतान	सभी भुगतान डेबिट करें

1.2 आरपीएलआई के लिए :

मुख्य शीर्ष	8016		
उप मुख्य शीर्ष	06	प्रबंध लागत	
लघु शीर्ष	101	संवर्धन एवं विपणन	
उप शीर्ष	02	आरपीएलआई निधियों के विपणन का संवर्धन	
विस्तृत शीर्ष	01	विकास अधिकारियों को प्रोत्साहन का भुगतान	सभी भुगतान डेबिट करें
	02	फील्ड अधिकारियों को कमीशन का भुगतान	सभी भुगतान डेबिट करें
	03	एजेंटों (डायरेक्ट एजेंट, जीडीएस, विभागीय कर्मचारी आदि) को प्रोत्साहन / कमीशन का भुगतान	सभी भुगतान डेबिट करें

2. यह अधिसूचना 01 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होगी।

मन्जु कुमार, मुख्य महाप्रबंधक (पीएलआई), अपर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF POSTAL LIFE INSURANCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2021

F. No. 18-04/2020-LI (Pt. 2).—In partial modification of Department of Posts Notification No. 46-2/2008-LI (Vol-II) dated the 12th August, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary No. 2045 dated August 17, 2016, the President is pleased to make the following amendments to the accounting procedure of Post Office Life Insurance Fund (POLIF) and Rural Post Office Life Insurance Fund (RPOLIF) :

1. All the **PAYMENTS** on account of incentive to sales force of Postal Life Insurance (PLI) and Rural Post Life Insurance (RPLI) shall be debited to **Major Head 8016, Sub-Major Head 06, Minor Head 101 and Sub Head 01 and 02**, as under:

1.1 For PLI:

Major Head	8016		
Sub Major Head	06	Management Cost	
Minor Head	101	Promotion & Marketing	
Sub Head	01	Promotion of Marketing of PLI Funds	
Detailed Head	01	Payment of Incentive to Development Officers	Debit all payment
	02	Payment of Commission to Field Officers	Debit all payment
	03	Payment of Incentive/Commission to Agents (Direct Agents, GDS, Departmental Employees etc.)	Debit all payment

1.2 For RPLI:

Major Head	8016		
Sub Major Head	06	Management Cost	
Minor Head	101	Promotion & Marketing	
Sub Head	02	Promotion of Marketing of RPLI Funds	
Detailed Head	01	Payment of Incentive to Development Officers	<i>Debit all payment</i>
	02	Payment of Commission to Field Officers	<i>Debit all payment</i>
	03	Payment of Incentive/Commission to Agents (Direct Agents, GDS, Departmental Employees etc.)	<i>Debit all payment</i>

2. The notification shall come into force with effect from 01st day of February 2021.

MANJU KUMAR, Chief General Manager (PLI)

Equivalent to the Rank of Addl. Secy.